न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 1/2021 GCMS NO2021/41

दायरा तिथि : 03.03.2021

आदेश तिथिः– 12-11-2021

अपीलान्टः–

पकाराम पुत्र वगताजी जाति जाट
निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. गमनाराम पुत्र वगताजी जाति जाट
   निवासी भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत भीटवाडा
3. तहसीलदार जी (भूमिधारी) बाली

उपस्थिति :–

1. श्री पोकरलाल चौधरी ....अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. श्री लोकेन्द्रसिंह मेडतिया .... अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 की ओर से
3. नायब तहसीलदार, बाली .... पेरोकार सरकार की ओर से

–:: आदेश ::– दिनांक : 12-11-2021

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

(विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 670 दिनांक 20.07.2011 जो सरपंच ग्राम पंचायत भीटवाडा द्वारा स्वीकृत किया गया)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। अपीलान्टस ने अपने पिता वगता पुत्र केसाजी द्वारा धारित की जा रही भूमियो ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 138, 141, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 165, 166 कुल खसरा–10 कुल रकबा 11.10 हैक्टर व अन्य भूमि ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 कुल खसरा–12 कुल रकबा 9.45 हैक्टर बाबत् स्व. पिता वगता पुत्र केसाजी की मृत्यु दिनांक 18.02.2011 के दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 670 दिनांक 20.07.2011 से अपीलान्ट का नाम पकाराम की जगह पुखराज दर्ज करने से अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अंतर्गत धारा 75 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व रेस्पोडेन्ट्स प्रस्तुत की गई। उक्त त्रुटिपुर्ण नामान्तरकरण की वजह से वर्तमान रेकर्ड में भी प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम पुखराज पुत्र वगताजी दर्ज होने से अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 670 दिनांक 20.07.2011 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपील के समर्थन में अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 670 दिनांक 20.07.2011 की प्रमाणित प्रति, नकल आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र निर्वाचन कार्ड की प्रति, खातेदारी भूमि की प्रमाणित प्रतियॉं पेश की गई।

प्रकरण पंजिवद्ध कर रेसपोडेन्टस को सम्मन जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 गमनाराम की ओर अधिवक्ता श्री लोकेन्द्रसिंह मेडतिया व श्री जितेश भण्डारी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अपीलार्थी का सही व वास्तविक नाम पकाराम पुत्र वगताजी होने तथा विवादास्प्रद नामान्तरकरण से अपीलार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम पुखराज पुत्र वगताजी दर्ज किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या–01 की ओर से ईकबालिया जवाब प्रस्तुत होने तथा प्रकरण मात्र नाम संशोधन का ही होने तथा नामान्तरकरण संख्या 670 का मूल रेकर्ड तहसील से प्राप्त हो जाने से उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। उभय पक्ष वकुलाय ने बहस में अपीलान्ट का नाम विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 670 से अपील में वर्णित भूमियो में त्रुटिपुर्ण तौर पर पुखराज पुत्र वगताजी दर्ज होने से अपील को स्वीकार करते हुये सही व वास्तविक नाम पकाराम पुत्र वगताजी जाट दर्ज किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती हैं। ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 138, 141, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 165, 166 कुल खसरा–10 कुल रकबा 11.10 हैक्टर व अन्य भूमि ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 कुल खसरा–12 कुल रकबा 9.45 हैक्टर बाबत् स्व. पिता वगता पुत्र केसाजी की मृत्यु दिनांक 18.02.2011 के बाद दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 670 दिनांक 20.07.2011 को अपीलान्ट के नाम संशोधन तक निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार, बाली को आदेश प्रति भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वादग्रस्त भूमियो में बतौर सह खातेदार दर्ज **पुखराज गमनाराम पि. वगता की बजाय सही व शुद्ध नाम पकाराम गमनाराम पि. वगता हिस्सानुसार दर्ज** करे। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली को पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 670 दिनांक 20.7.2011 की सत्यापित प्रति के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 12-11-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner